-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शराब के नशे में बेटे के द्वारा पिता को फरसा व चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर इलाजे दौरान मृत्यु हो जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फरसा व चाकू बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शराब के नशे में बेटे के द्वारा पिता को फरसा व चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर इलाजे दौरान मृत्यु हो जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 08.08.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुलकुम्हारी के रहने वाले मृतक के पुत्र रामचन्द्र पुत्र नंदलाल द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी कि मेरे भाई गोरेलाल द्वारा शराब के नशे में पिता की फरसा व चाकू से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया जिनकी इलाजे दौरान मृत्यु हो गई। सूचना पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर कुरौली रोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फरसा व चाकू बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गोरेलाल पुत्र नंदलाल कुशवाहा निवासी ग्राम कुलकुम्हारी थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 197/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली देहात श्री अनूप दुबे
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार
3. उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार
4. उ0नि0 श्री राजेश चन्द्र
5. हे0कां0 जावेद अली
6. हे0कां0 अजय कुमार
7. म0कां0 रेनू देवी